नामी मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल तांबी गिरफ्तार

एनसीबी की टीम ने एनडीपीएस कोर्ट की लिंक कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा

- पंद्रह मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निरस्त किए।
- एनसीबी और ड्रग कंट्रोल की टीम ने 29 नवंबर की रात को संयुक्त कार्रवाई कर डॉ. तांबी के मालवीय नगर स्थित घर पर छापा मारकर बड़ी संख्या में एडीपीएस श्रेणी की दवाईयों की खेप जब्त की थी।

जयपुर,(कासं)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने मंगलवार को जयपुर में नामी साइक्राइटिस्ट डॉक्टर अनिल तांबी को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी टीम ने डॉ. तांबी को एनडीपीएस कोर्ट की लिंक कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

ड्रग कंट्रोल की टीम ने आज इस मामले में जयपुर के 15 रिटेल मेडिकल स्टोर के लाइसेंस भी कैंसिल किए है। 29 नवंबर को ही इन दुकानों पर टीम ने छापा मारकर एविल दवाईयों की खरीद-फरोख्त में बड़ी गड़बड़ी पाई थी।

गौरतलब है कि डॉ. तांबी के घर पर 29 नवंबर की रात को एनसीबी और ड्रग कंट्रोल की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापा मारा था, जहां से बड़ी संख्या में एडीपीएस श्रेणी की दवाईयों की खेप जब्त की थी।

इस दौरान टीम ने चांदपोल स्थित राजस्थान मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर के यहां छापा मारा था, जिसमें मेडिकल स्टोर के एक गोदाम से बड़ी संख्या में दवाईयां जब्त की है। यह गोदाम बिना लाइसेंस के संचालित कर रखा था। इस दौरान टीम ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। इस मेडिकल स्टोर का लाइसेंस उसी दिन निरस्त कर दिया गया था। जांच में मिले इनपुट के आधार पर टीम डॉ. अनिल तांबी के मालवीय नगर स्थित घर पर पहुंची थी।

डॉ. तांबी के घर से ड्रग कंट्रोल टीम को मेडिकल स्टोर से 360 की दवाई को 500 रुपए में बेचने के साक्ष्य मिले थे। इसके साथ ही यहां से बड़ी संख्या में एनडीपीएस श्रेणी की दवाएं एविल इंजेक्शन की खेप रखी मिली थी। इसके बाद एनसीबी ने इस पूरे मामले में केस बनाया था। इसके तहत मंगलवार को डॉ. तांबी को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि 29 नवंबर को जिन 15 दुकानों पर छापे मारे गए उनकी जांच में पाया गया कि इन मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से राज्य में सीएण्डएफ होने के बाद भी राज्य के बाहर से दूसरी फर्मों से एविल इंजेक्शन की खेप खरीदी और उनकी बिक्री की। पिछले 8 महीने के दौरान 2 लाख इंजेक्शन इसी तरह बेचे गए। वहीं इसमें ये पाया गया कि करीब 14 हजार इंजेक्शन तो बिना डॉक्टर्स की पर्ची के और बिना बिल के बेचे गए। ये इंजेक्शन नशे के उपयोग में किए गए। इसके चलते 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस बुधवार निरस्त किए गए है।

ड्रग कंट्रोल विभाग ने आज जेडीए कॉलोनी आगरा रोड स्थित कमल मेडिकल एंड प्रोविजन स्टोर, झालाना डूंगरी स्थित श्री धनराज मेडिकल, झालाना मालवीय नगर स्थित वी.जे. फार्मास्यूटिकल्स, झालाना जगतपुरा रोड स्थित नवीन मेडिकल, दिल्ली बाइपास गलता गेट स्थित वैश्नवी मेडिकल, प्रधान मार्ग मालवीय नगर स्थित न्यू लाइफ केयर, कुम्भा मार्ग टोंक रोड स्थित बालाजी मेडिकल, रामनगरिया जगतपुरा स्थित विक्रम मेडिकल, रीको कूकस स्थित श्री साईं मेडिकल, रामगंज स्थित शांति मेडिकल, चौरडिया पेट्रोल पंप सांगानेर स्थित सक्षम मेडिकल, दिल्ली बाइपास आमेर रोड स्थित लाइफ केयर फार्मा, रामगंज बाजार बाबू का टिब्बा स्थित कान्हा मेडिकल, मच्छ की पीपली गोनेर रोड स्थित श्री गायत्री मेडिकल और सिद्धार्थ नगर गैटोर मालवीय नगर स्थित शुभम मेडिकल का लाइसेंस रद्द किया है।

'बिना एनओसी व्यावसायिक गतिविधियां क्यों?'

जयपुर, (का.सं.)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बेंच ने नाहरगढ़ किले में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए वन विभाग की एनओसी लिए बिना सीधे वाइल्ड लाइफ एनओसी जारी करने पर केंद्र सरकार, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सहित राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसी तरह अधिकरण ने जयगढ़ किले में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर भी केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अधिकरण ने यह आदेश राजेन्द्र तिवारी के प्रार्थना पत्रों पर दिए।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि नाहरगढ़ किले में व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के लिए एनजीटी ने आदेश दिए थे। वहीं बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पुरातत्व विभाग के पक्ष में स्टे दे दिया। इसके बाद वन और पुरातत्व विभाग ने मिलकर नाहरगढ़ फोर्ट में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए पुरातत्व विभाग ने वन विभाग को प्रस्ताव भेजा और वन विभाग ने इस प्रस्ताव को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा। जहां गत 4 नवंबर 2022 को वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस मिल गई। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वाइल्ड लाइफ क्लीयरेंस लेने से पहले वन विभाग की एनओसी लेनी जरूरी है, लेकिन इस मामले में तथ्य छिपाते हुए सीधे ही वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस ले लिया गया।

एसिकॉन की कॉन्फ्रेंस में हार्मोंस से जुड़ी बीमारियों पर चर्चा होगी

एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया (एसिकॉन 2022) की 51वीं वार्षिक कांफ्रेंस का उद्घाटन में डॉ. प्रकाश केसवानी, डॉ. सैलेश लोढ़ा (बीचमें), डॉ. सुधीर भंडारी (बायें से दूसरे), डॉ. बलराम शर्मा, डॉ. प्रेम प्रकाश पाटीदार, डॉ. राजीव कासलीवाल, डॉ. मनोज खंडेलवाल, डॉ. अजय शाह उपस्थित रहे।

जयपुर, (का.सं.)। एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया (एसिकॉन 2022) के 51 वें वार्षिक कांफ्रेंस की शुरुआत राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बुधवार को हुई। जबकि इसका औपचारिक उद्घाटन 22 दिसंबर को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री डॉ. संजय सारण ने बताया कि एसिकॉन 2022 के साइंटिफिक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में डॉ. प्रकाश केसवानी, डॉ. सैलेश लोढ़ा डॉ. सुधीर भंडारी, डॉ. बलराम शर्मा, डॉ. प्रेम प्रकाश पाटीदार, डॉ. राजीव कासलीवाल, डॉ. मनोज खंडेलवाल, डॉ. अजय शाह उपस्थित रहे। कांफ्रेंस में देश विदेश के 2000 डॉक्टर्स एक छत के नीचे जमा हुए हैं, जहां वह हार्मोंस से जुड़ी बीमारियों पर चर्चा के साथ ही इनसे बचाव व उपचार पर विचार साझा करेंगे। कांफ्रेंस के पहले दिन कई टॉपिक्स पर चर्चा और वर्कशॉप भी आयोजित की गई।

डॉ. सैलेश लोढा ने डायबिटीज और डॉ. प्रकाश केसवानी ने थायराइड जैसी बीमारी पर रोशनी डालते हुये बताया कि जहां इन बीमारियों के रिवर्स यानी जड़ से मिटने पर चर्चा की गई। डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियों को लेकर लोगों में बहुत भ्रांतियां फैली हैं, जिन्हे दूर करने की जरूरत है। डायबिटीज के उपचार के साथ जागरूकता बहुत जरूरी है, इसके लिए अपने लाइफ स्टाइल के साथ एक्सरसाइज और खानपान को लेकर अवेयरनेस जरूरी है। वहीं डॉ. केसवानी ने थायराइड के दो प्रकार हाइपो थैरिडिज्म और हाईपर थैरिडिज्म होते हैं बताया, दोनो ही टाइप का डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, इसके लिए समय रहते जांच करा लेना चाहिए ताकि बीमारी से बचा जा सके। इस बीमारी को जड़ से कैसे मिटाया जा सके इस पर भी चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आए इंडोक्रेनोलोजिस्ट और इन्सुलिन पंप थेरेपी स्पेशलिस्ट डॉ. तरुण मिश्रा ने एक वर्कशॉप में देश और विदेश से आए डॉक्टर्स को संबोधित करते हुए इन्सुलिन पंप थेरेपी का लाइव डेमो दिया ताकि वह मरीजों तक इसके फायदे पहुंचाने का काम कर सकें। इन्सुलिन पंप एक डिवाइस है जो आर्टिफिशियल पैंक्रियाज की तरह काम करता है। यह डिवाइस शुगर पीड़ितों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो मरीज को डायबिटीज फ्री होना सुनिश्चित कर सकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने किया कोर्ट परिसर का निरीक्षण

राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे पंकज मित्थल (बीच में) ने बुधवार को हाईकोर्ट परिसर का दौरा किया। इस दौरान हाईकोर्ट प्रशासन के अधिकारी व हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे पंकज मित्थल ने बुधवार को हाईकोर्ट परिसर का दौरा किया। इस दौरान हाईकोर्ट प्रशासन के अधिकारी व हाइकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सीजे वकीलों की ओर से दिए जा रहे धरना स्थल भी पहुंचे और धरने को लेकर जानकारी ली। कुछ वकील हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में मनमानी का आरोप लगाते हुए पिछले लंबे समय से रोजाना एक घंटे धरना दे रहे हैं।

सीजे ने हाईकोर्ट परिसर के दौरान बार कार्यालय के साथ-साथ पार्किंग और कैंटीन सहित अन्य जगहों का दौरा किया। इस दौरान बार महासचिव बलराम वरिष्ठ ने सीजे को कोर्ट की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं सीजे ने पूछा कि वकीलों को भोजन के लिए अलग से जगह निर्धारित क्यों नहीं है। इस पर बलराम ने बताया कि वकील अपने चैंबर या कैंटीन में भोजन कर लेते हैं। वहीं धरना स्थल पर अधिवक्ता पीसी भंडारी ने उन्हें धरने का कारण बताया। सीजे के दौरे के बाद भंडारी ने बताया कि सीजे ने धरने के कारणों का जल्द निस्तारण की बात कही है।

पुलिस अफसरों पर कार्रवाई वाले आदेश पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग के बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में कोटा की पॉक्सो कोर्ट-4 के 21 नवंबर के उस आदेश की क्रियांविति पर रोक लगा दी है, जिसमें डीजीपी को 12 दिसंबर को कोर्ट में खुद या प्रतिनिधि को हाजिर होकर यह बताने के लिए कहा था कि उन्होंने 23 अगस्त के आदेश की पालना क्यों नहीं की। वहीं डीजीपी को कहा था कि क्यों ना उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। साथ ही अदालत ने पॉक्सो कोर्ट के इसी मामले में डीएसपी मुकुल शर्मा, कोटा एसपी केसर सिंह शेखावत व प्राथमिक जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने वाले आदेश पर भी रोक लगाई है।

वहीं डीएसपी मुकुल शर्मा से केस का अनुसंधान वापस लेकर उन्हें तीन महीने तक किसी भी केस का अनुसंधान नहीं देने और उन्हें चार्जशीट देने वाले आदेश पर भी रोक लगाई है। जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश डीएसपी मुकुल शर्मा व राज्य सरकार की याचिका पर बुधवार को दिया। राज्य सरकार की ओर से एएजी घनश्याम शर्मा व डीएसपी की ओर से अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने अदालत को बताया कि पॉक्सो कोर्ट के जज ने सुस्थापित सिद्धांतों व विधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर आदेश दिए हैं, जो गलत है। इसलिए पॉक्सो कोर्ट के डीजीपी, एसपी व डीएसपी के खिलाफ दिए आदेशों की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए। अदालत ने राज्य सरकार व प्रार्थी की दलीलों से सहमत होकर पॉक्सो कोर्ट के आदेशों की क्रियांविति पर रोक लगा दी।

ममता शर्मा को पीएचडी

जयपुर। आईआईएस यूनिवर्सिटी जयपुर के कंप्यूटर साइंस एंड आईटी विभाग से ममता शर्मा को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। इन्होंने शोध कार्य डॉ. नवनीत शर्मा के निर्देशन में पूर्ण किया है।

प्रदेश के दो जिलों में पांच नए करोना संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। चीन में जहां करोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रसार से हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं, वहीं भारत में फिलहाल हालात काफी नियंत्रण में है। इधर राजस्थान में रोजाना काफी कम संख्या में नए संक्रमित मिल रहे है। राज्य में बुधवार को 2 जिलों में केवल 5 ही नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

प्रदेश में बुधवार को जयपुर में 4 और पाली में 1 नया करोना संक्रमित मिला है। इससे पहले मंगलवार को 11 रोगी पाए गए थे। जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में पांच स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें बस्सी, जगतपुरा, जमवारामगढ़ और सिरसी में 1-1 नया संक्रमित मिला है। आज जयपुर और पाली के अलावा अन्य किसी भी जिले में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

उधर प्रदेश में बुधवार को 6 मरीजों के रिकवर होने से एक्टिव केस घटकर 52 रह गए हैं। यह सभी मरीज जयपुर में रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही राजधानी में अब 45 लोगों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

उधर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग चीन में संक्रमण के मामले बढ़ने को लेकर सतर्क हो गया है। इसके चलते राजस्थान सहित देशभर में आने वाले विदेशी यात्रियों की करोना की रेंडम सैम्पलिंग के निर्देश दिए गए हैं।

'अनुसूचित जनजाति घटक कोष में इस वर्ष 87,585 करोड़ रुपए आवंटित'

जयपुर, (का.सं.)। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री, डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज एक प्रेस वार्ता में मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनजातीय लोगो के पुनरुत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 8 वर्षों से अभूतपूर्व काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एस टी सी (अनुसूचित जनजाति घटक) कोष में वर्ष 2022-23 में 87,585 करोड़ रूपए आवंटित किये गए हैं। वहीं 2014-15 में ये राशि केवल 19,437 करोड़ थी और वर्ष 2022-23 में जनजातीय कार्य मंत्रालय को 8,407 करोड़ रूपए आवंटित किये गए हैं जबकि 2014 - 15 में 3,832 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे। 2014-15 में 3,832 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे।

डॉ. पवार ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय डिजिटल दस्तावेज़ भंडार विकसित किया है जो जनजातियों से संबंधित दस्तावेजों का एक अनूठा डिजिटल भंडार है जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है "जनजातीय डिजिटल दस्तावेज़ रिपॉजिटरी" जनजातीय दस्तावेज़ों से संबंधित खोज और ब्राउज़ विकल्प प्रदान करता है, इसलिए हर कोई सुविधापूर्ण तरीके से और आवश्यकतानुसार उस जानकारी को प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने कहा कि पारंपरिक उद्योगों के कोष पुनर्जनन योजना (स्फूर्ति) के अंतर्गत कुल 498 क्लस्टर्स को अनुमोदित किया गया है जिनमे 273 क्लस्टर में 58307 शिल्पकार जनजातीय समुदाय से हैं।

महापौर सौम्या गुर्जर ने देर रात शहर के रैन बसेरों में व्यवस्थाएं जांची

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने मंगलवार देर रात 11 बजे से अलसुबह 3 बजे तक शहर के कई रैनबसेरों (शेल्टर होम) का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। उन्होंने अफसरों को रैन बसेरों में माकूल व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। सौम्या गुर्जर ने सांगानेर थाने के सामने पुलिया के नीचे बने रैनबसेरे से निरीक्षण की शुरुआत की। इसके बाद वे सांगानेर, महारानी फार्म, त्रिवेणी नगर पुलिया, अजमेर रोड 200 फीट बाइपास, गौरव टावर, गांधी नगर रेलवे स्टेशन, जेके लोन अस्पताल के मुख्य द्वार के पास रामनिवास बाग गेट के पास, विद्याधर नगर स्थित आदि अस्थाई रैनबसेरों एवं थड़ी मार्केट स्थित स्थाई रैनबसेरों का निरीक्षण करने पहुंची। सांगानेर थाने के सामने पुलिया के नीचे बने रैनबसेरे में महापौर जब पहुंची तो वहां सो रहे लोगों की संख्या के बारे में महापौर ने वहां मौजूद सुरक्षा गार्डो से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां 80 लोग सो रहे हैं, जबकि इस रैनबसेरे में 100 लोगों की रुकने की व्यवस्था है। निरीक्षण के दौरान महापौर को सड़क के किनारे फुटपाथ पर कई लोग खुले में कम्बल चादर में ठिठुरते दिखे, जिस पर उन्होंने मौके पर गाड़ी रोककर उनसे बात की। इस पर मालूम चला कि पंजीकरण के लिये आवश्यक दस्तावेज नहीं होने की वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिली। महापौर ने उन्हें पास के रैनबसेरे में ले जाकर उन्हें सोने-रहने की जगह दिलवाई।

- फुटपाथ पर सर्दी से ठिठुरते लोगों को नजदीकी शेल्टर होम में पहुंचाया
- लोगों ने शिकायत दी कि सुलभ शौचालय में नहाने-धोने के 10-15 रुपये वसूलते हैं, शेल्टर होम की पर्ची दिखाने पर भी नहीं मानते

ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर ने मंगलवार देर रात शहर के कई रैनबसेरों का औचक निरीक्षण किया।

महापौर ने महारानी फार्म स्थित रैनबसेरों में सो रहे कुछ लोगों से बात की और पूछा कि यहा कब से सो रहे हो। तो उन में से एक दो लोगों ने बताया कि वे मजदूरी के लिए जयपुर आए हैं और यहां पिछले एक माह से रह रहे है। इस दौरान कुछ लोगों ने पूछताछ में बताया कि यहां खाना एवं रहना तो फ्री मिल रहा है, लेकिन सुबह जब पास के सुलभ शौचालय में जाते है तो वहां नहाने-धोने के 10 से 15 रुपये लेते है जबकि हम उनको शेल्टर होम की पर्ची दिखाते है, तो भी ये नहीं मानते है। इस पर महापौर ने तुरंत जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

नम्बर मिलाइए
9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

NAME CHANGE

I Gowardhan Singh Sankhla S/o Devi Lal Hajuri R/o Ward No-07, Near Bavadi Bassi Kheda, Bassi, Chittorgarh, Rajasthan-312022, have changed my name to Govardhan Lal Hajuri

I, Bharti Singh w/o Vijay Singh have changed name of my daughter from Raghunandini Singh to Raghunandini Vijay Singh for all future purpose. R/o-2172, Sankotra House, Fruit Mandi, Johri Bazar, Jaipur

मैं मेरा नाम यशश्वनी शर्मा से बदलकर यशस्विनी शर्मा पुत्री संजय डी शर्मा निवासी B-6, वृन्दावन अपार्टमेंट वृन्दावन विहार, किंग्स रोड, श्याम नगर थाना के पास, जयपुर रख रही हूं भविष्य में मुझे मेरे उक्त नये नाम से ही जाना पहिचाना जावे।

खोया-पाया

मेरा, माधव नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा जारी प्लॉट नं. 23 विनोबा नगर, गिरधर मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर के मूल आवंटन पत्र, रसीद एवं साइट प्लान कही गुम हो गये है। मिले तो संपर्क करें संजय पंचौली 9079060457

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लेट संख्या-12/164 (एफ.एफ.), मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 33.792 वर्ग मीटर/ वर्ग गज का आवंटन श्री करोरा सिंह पुत्र श्री सावन सिंह को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1770 दिनांक 22.09.1989 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 02.05.1990 को प्राप्त किया गया। श्री करोरा सिंह की मृत्यु दिनांक 18.10.2016 को हो जाने के कारण श्रीमती दलजीत कौर पत्नी श्री करोरा सिंह के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती दलजीत कौर पत्नी श्री करोरा सिंह के पक्ष में उक्त आवास/फ्लेट के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

नाम संशोधन

मैं Vikram Singh Gurjar मेरा आर्मी नंबर-15614225X, रैंक- NK, यूनिट-3 Guards (1Raj Rif) C/O 56APO, मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरे पुत्र Ajeet singh का नाम Ajit singh गलत दर्ज है। जबकि शैक्षणिक रिकॉर्ड में सही नाम Ajeet singh है, जो सही है। समान दर्ज करें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट ए-18, टेलिफोन कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमती सन्तोष पारीक पत्नी श्री बी.एस. पारीक को क्षेत्रफल 167.77 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। उक्त पट्टा हमारे पास कहीं गुम हो गया है। जिसकी एफआईआर दिनांक 2.2.2022 को साइबर क्राइम जयपुर में दर्ज करा दि गई थी। उक्त सम्पत्ति का नगर निगम से नया पट्टा प्राप्त कर रहा हूँ। उक्त पट्टा जिसके पास है उसे रद्द समझा जावे।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री मामराज पुत्र स्व. श्री दुर्गाराम एवं श्रीमति सुलोचना पत्नि श्री मामराज निवासी-प्लाट नम्बर-36, राज श्री विहार, न्यू लोहा मंडी रोड, माचडा, हरमाडा, जयपुर के पुत्र-पुत्रवधु (रविप्रकाश-कल्पना बुडानियाँ) उनके कहने सुनने में नहीं है तथा मेरे अभिभाष्यगण के प्रति अपने किसी भी नैतिक दायित्व का निर्वहन नहीं करते है व आये दिन लड़ाई झगड़ा करते है इसलिये मेरे अभिभाष्यगण अपने उक्त पुत्र-पुत्रवधु को तुरन्त प्रभाव से अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्तियों से बेदखल करते है। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था मेरे अभिभाष्यगण के उक्त पुत्र व पुत्रवधु से किसी प्रकार का संव्यवहार, लेने देन इत्यादि करता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।
दिनांक:-20.9.2022 प्रेम प्रकाश जाँगिड (एडवोकेट) मो. 9828021070

आम सूचना मैं, मेरे अभिभाष्य श्री आशीष पारीक पुत्र ओम प्रकाश पारीक, निवासी 49-50, मदनवाडी, जयपुर के बिहाफ पर आमजन को सूचित करता हू कि M/s Sunrise Solar And Electrical Solution पार्टनरशीप फर्म है। उक्त फर्म के अन्य के अतिरिक्त एक पार्टनर सौरभ शर्मा पुत्र नरसी अवतार शर्मा द्वारा आपराधिक कृत्य करते हुए उक्त फर्म के विधान व हितो की अनदेखी करते हुए बेईमानीपूर्वक आशय से अन्य पार्टनरों की जानकारी में लाए बगैर विधि विरुद्ध रुप से उक्त पार्टनरशीप फर्म की आड में स्वयं के व्यक्तिगत सदोष लाभ के कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए उक्त पार्टनरशीप फर्म से सौरभ शर्मा के जरिये/माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संव्यवहार नहीं करें। उक्त पार्टनरशीप फमर से सौरभ शर्मा के जरिये/माध्यम से किसी भी प्रकार का संव्यवहार किए जाने पर फर्म व अन्य पार्टनर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सूचित रहे।
जयपुर, दिनांक:- (हेमन्त सैनी) एडवोकेट मो. 9887662156

सार्वजनिक सूचना: ग्राम मदाऊ तहसील सांगानेर जयपुर के खसरे नं.34, 36/8, 59/550 में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रोविजन 3ए के अंर्तगत अनुमोदित करवाकर भवन मानचित्र दि. 07/09/2017 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी किया गया था। उक्त जारी भवन मानचित्रों को निरस्त करवाते हुए 3ए उक्त परियोजना के पेटे विकास कर्ता की जयपुर विकास प्राधिकरण के पेटे कोई भी बकाया राशि नहीं है, एवं परियोजना में प्रस्तावित इकाइयों में से किसी का बेचान नहीं किया गया है। अत: विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत निरस्ती प्रार्थना/संशोधित 90ए एवं भवन मानचित्र समिति (बीपी) जविप्रा जयपुर द्वारा जारी पत्र कमांक डी-327 दिनांक 25.02.2022 के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर वरिष्ठ नगर नियोजन भवन मानचित्र समिति (बीपी)/उपायुक्त जोन-11 जविप्रा जयपुर कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें। वरिष्ठ नगर नियोजक भवन मानचित्र समिति (बीपी)/उपायुक्त जोन-11 जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, की ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट एयर फोर्स नेवल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो की प्लॉट नंबर 55/-1 ग्राम बोयतावाला तहसील एवं जिला जयपुर राज्य राजस्थान में वायु सेना नौसेना आवास बोर्ड (एएफएनएचबी) द्वारा प्रस्तावित है। इस पर भवन निर्माण की पर्यावरण स्वीकृति राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पत्र संख्या No. FI(4)SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/ Project/ Cat.8(a) B/(498)/12-13 दिनांक 30.11.2012 को प्रदान की गई है। सहमति प्रपत्र की प्रति राज्य पर्यावरण प्रभाव आकंलन प्राधिकरण (SEIAA) के पास उपलब्ध है एवं वेबसाइट http://environmentclearance.nic.in/ पर भी उपलब्ध है।

न्यायालय उप तहसीलदार, बगरू जिला जयपुर (राज.)
Email-srofficebagru@gmail.com
क्रमांक/भू.अ./135(2)/2022/2419 दिनांक 19.12.2022
विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या 649 के खसरा नं. 350, खसरा नं. 351 किता 2 रकबा 0.60 है. में हिस्सा 1/2 में मृतक खातेदार प्रभातीदेवी पत्नी सेडूराम की पंजीकृत वसीयत का नामांतरण भू-राजस्व एक्ट 135 (2) में विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति या संबंधित को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन होने की तिथि से 07 दिवस के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जायेगा।
उप तहसीलदार
बगरू, जिला जयपुर

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संख्या-1, गंगापुर सिटी
कृष्ण मुरारी शर्मा बनाम हरखास आम
प्रार्थना पत्र बावत् जारी किये जाने संरक्षक प्रमाण पत्र मु.नं. 27/2022
नोटिस हरखास आम
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृष्ण मुरारी शर्मा पुत्र स्व. राजकुमार जाति ब्राह्मण निवासी कल्याणजी मंदिर के पास, पटवारी कॉलोनी, (हाडौत्या कॉलोनी), गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राजस्थान ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बावत् जारी किये जाने संरक्षक प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता स्व. राजकुमार ब्राह्मण व मॉ श्रीमति रामकन्या पत्नि राजकुमार का देहान्त हो चुका है। प्रार्थी अपने छोटे भाई दिनेश पुत्र राजकुमार जाति ब्राह्मण निवासी कल्याणजी मंदिर के पास, पटवारी कॉलेनी गंगापुर सिटी का संरक्षक बनना चाहता हू। तथा रेल्वे से प्राप्त राशि, बैंक खाते का संचालन आदि करना चाहता हूं। दिनेश के मेरे अलावा सगा भाई अन्य कोई नही है मैं ही दिनेश का एक मात्र सगा भाई हूं। इसलिये प्रार्थी के हक में संरक्षक प्रमाण पत्र जारी किया जावे। लिहाजा जो भी हर खास व आम उक्त प्रकरण में अपना पक्ष रखना चाहे दिनांक 17.1.2022 को 10.30 ए.एम. बजे न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है। मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16.12.2022 को जारी किया गया।
आज्ञा से
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
गंगापुर सिटी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 I फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियां उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूची में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की राशि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पति का पता
1.	39696315, 3443233 एवं 3475807	सम्पत्ति पर ऋण	1. मधु देवी सोनी 2. बजरंग लाल सोनी 3. सुनील कुमार सोनी 4. संजू सोनी	23-11-2022	63,68,539.09/-	प्लाट 111/78, क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमायें है : पूर्व प्लाट नं. 111/77, पश्चिम: प्लाट नं. 111/79, उत्तर: प्लाट नं. 111/63, दक्षिण: रोड आइटम-2 : प्लाट 111/79, क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर (राज.) का पूरा व प्रत्येक भाग और सीमाये है: पूर्व: प्लाट नं. 111/78, पश्चिम: प्लाट नं. 111/80, उत्तर: प्लाट नं. 111/62, दक्षिणा: रोड

आपको एतद् द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूची में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा / इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री / लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिए प्रतिबंधित है।

दिनांक : 22.12.2022 ह./-
स्थान : जयपुर प्राधिकृत अधिकार
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)